क्रम संख्या–94

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई०
चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 146 / XXXVI(3) / 2010 / 15(1) / 2010
देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010'** पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2010)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 28 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 28 की उपधारा (3) में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

(क) धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात की गयी देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) में उत्पाद शुल्कारोप्य "रु0 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "रु0 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य "रु0 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "रु0 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ग) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन किये गये देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य "रु0 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "रु0 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स के अन्तर्गत देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) निर्मित, कर्षित या संग्रहीत उत्पाद शुल्कारोप्य "रु0 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "रु0 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेन्स प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य "रु0 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "रु0 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The United Provinces Excise Act, 1910) (Amendment) Bill, 2010' (Adhiniyam Sankhya 21 of 2010) :-

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 March, 2010.

No. 146/XXXVI(3)/2010/15(1)/2010
Dated Dehradun, March 26, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910) (AMENDMENT) ACT, 2010

(UTTARAKHAND ACT NO. 21 OF 2010)

Further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 in its application to the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (the United Provinces Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2010.

Short title, Extend and commencement

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 2009

2. In sub-section (3) of section 28 of the United Provinces Excise Act, 1910 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following shall be amended, namely :--

Amendment of Section 28

(a) Countervailing duty on excisable Country Liquor (Excepting Tari) imported in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 12 in place of "Rs. 90.00 per bulk liter" "Rs. 200.00 per bulk liter" shall be substituted.

(b) Excise or countervailing duty on excisable Country Liquor (Excepting Tari and other fermented alcoholic beverages) exported in accordance with the provisions of section13 in place of "Rs. 90.00 per bulk liter" "Rs. 200.00 per bulk liter" shall be substituted.

(c) Excise or countervailing duty on excisable Country Liquor (Excepting Tari) transported in accordance with the provisions of section13 in place of "Rs. 90.00 per bulk liter" "Rs. 200.00 per bulk liter" shall be substituted.

(d) Excise duty on excisable Country Liquor (Excepting Tari) manufacturer, cultivated or collected under any license granted under the provisions of section17 in place of "Rs. 90.00 per bulk liter" "Rs. 200.00 per bulk liter" shall be substituted.

(e) Excise duty on excisable Country Liquor (Excepting Tari) manufacturer in any distillery established, or any distillery or brewery licensed under the provisions of section18 in place of "Rs. 90.00 per bulk liter" "Rs. 200.00 per bulk liter" shall be substituted.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधायी / 199–2010–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।